सिटी-बोर्ड (नगर-परिषद) जौनपुर की बैठक दिनांक 27.11.91 दिन बुधवार अपरान्ह 4.30 बजे श्री सीताराम यादव अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर की अध्यक्षता में टाउनहाल में हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे, उनके नाम व कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1	श्री सीताराम यादव	अध्यक्ष
2	" भोलानाथ आर्य	मान्य सदस्य
3	" हाजी मो० सलीम	" "
4	" अनसर रजा उर्फ 'भइया जी'	" "
5	" डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव	" "
6	" रमजान खां	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
7	श्रीमती सुधा श्रीवास्तव	नामित सदस्य
8	श्री मिर्जा जमारत हुसेन	मान्य सदस्य
9	" मिठाई लाल	" "
10	" राम अधार यादव	" "
11	" वीरेन्द्र प्रताप यादव	" "
12	" दयाशंकर साहू	" "
13	" सै० मेंहदी हसन	" "
14	" दुखलाल साहू	" "
15	" गणेश नाथ रावत	" "
16	" शिवकुमार गुप्त	" "
17	" बाबूलाल गुप्त	" "
18	श्रीमती विमला सिंह	नामित सदस्य
19	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	कनिष्ठ उपाध्यक्ष
20	" विद्या सागर सोनकर	मान्य सदस्य
21	" नजीर	" "
22	" मुख्तार अहमद	" "
23	" अमरनाथ	नामित "

27/11/91 — सीताराम यादव

(शाह महमूद अहमद) 27.11.91
नगर अभियन्ता एवं
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी।

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड जौनपुर

27.11.91

प्रस्ताव	निर्णय
1. पिछली बैठक दिनांक 11.9.91 की कार्यवाही वास्ते पुष्टि.	कार्यवाही वास्ते पुष्टि परिषद लिपिक द्वारा प्रपठित किये जाने पर श्री नरेन्द्रनाथ सिंह, तत्कालीन सफाई एवं स्वास्थ निरीक्षक का प्रकरण आने पर डा० श्री कृष्णकुमार ओझा, माननीय सभासद ने कहा कि गोश्त बेचने वाले प्रकरण पर श्री नरेन्द्र सिंह, सफाई निरीक्षक को क्या पत्र लिखा गया था? और उनका क्या उत्तर आया, यदि आया हो तो उसे प्रस्तुत किया जाय, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से परिषद लिपिक ने बताया कि श्री नरेन्द्रनाथ सिंह, सफाई निरीक्षक जिनका स्थानान्तरण, आजमगढ़ नगर पालिका में हो गया है, उन्हे गोश्त वाले प्रकरण पर पत्र लिखा गया है, और अभी तक उनका उत्तर नहीं आया है तथा उनकी एल०पी०सी० अन्तिम देयक प्रमाणपत्र निर्गत न करने हेतु लेखाकार को निर्देश दे दिया गया है, चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री गणेशनाथ रावत सभासद, ने कहा कि उनके स्थान पर जो नये सफाई एवं स्वास्थ निरीक्षक आये हुये हैं, उन्हे इस सम्बन्ध में जानकारी दी गयी है कि नहीं और उन्होने अब तक क्या कार्यवाही किया, इस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि गोश्त के दो

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1.	दुकानदारों के लाईसेन्स निरस्त किये गये हैं, जिसमें एक नयनवाँ तथा दूसरा जोगियापुर के पास का है। इस पर श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, माननीय सभासद, ने कहा कि पालिटेक्नीक चौराहा पर खुले आम गोश्त काटकर बेचा जा रहा है, उसे क्यों नहीं बन्द कराया गया, इस पर डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि चरनौधरपुर में मंदिर के पास गुमटी के पास पशु वध करके गोश्त बेचा जा रहा है, जिसे हटाने के लिये उन्होंने कई बार कहा, लेकिन वह आज तक नहीं हटवाया गया, जबकि पिछली बार इसके लिये आश्वासन भी दिया गया था, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि कल इस पर कार्यवाही की जायेगी, तथा अधिशासी अधिकारी ने भी इसका आश्वासन दिया, इस पर श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर उन दोनों गोश्त की दुकानों के लाईसेन्स निरस्त किये गये हैं, इस पर श्री गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने कहा कि गोमती नदी के उस पार के जो सफाई एवं खाद्य-निरीक्षक हैं, उन्होंने अब तक क्या किया इस पर अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	मैं सदन को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि तीन दिन के अन्दर इस मामले में कार्यवाही कर देंगे। पुनः आगे की कार्यवाही पढ़ी गयी, इसी बीच श्री गणेश नाथ रावत, मान्य सभासद ने कहा कि प्रकाश विभाग में मिस्त्री के पद के लिये शासन को लिखा गया है इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके पश्चात पिछली कार्यवाही की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।
2 छिंदी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह अगस्त 91 का मासिक आय-व्यय लेखा पत्रादि परिषद अनुमोदन व अवलोकन हेतु।	सर्वसम्मति से स्वीकार।
3. छिंदी-बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 के माह सितम्बर 91 का मासिक आय व्यय लेखा पत्रादि परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु	सर्वसम्मति से स्वीकार।

मासिक आय व्यय लेखा पर चर्चा

श्री अनसर जा उर्फ भय्या जी

स्थान:-

निर्णय:-

मान्य सभासद ने कहा कि माह सितम्बर 91, में कर वसूली पर रु. 44,587=50 पैसे व्यय किया गया है, जबकि गृहकर से रु 17,808=72 पैसे एवं जलकर से 32,106=93 पैसे की आय हुयी है इस प्रकार देखो जाय तो आय और व्यय बराबर है, जबकि आय अधिक होना चाहिये, इसका कारण बताया जाय, उत्तर में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने सदन को बताया कि पिछले माह त्योहार होने के कारण वसूली में अधिक वृद्धि नही हो सकी है तथा अभी हाल ही में 5 सम्बन्धित कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी कर दिया गया है, इस पर श्री अनसरजा, उर्फ भय्या जी मान्य सभासद ने कहा कि अधिशासी अधिकारी पहले मेरी बात तो सुन लीजीये उसे समझने के बाद उत्तर दीजीये, अन्यथा व्यर्थ मेरा तथा मेरे प्रश्नों को अनमानता है, केवल कारण ही पीछे हमें दिखाया जाता है, मैं बता रहा हूँ कि 50,000/- पचास हजार रुपये की वसूली इस कारण नही हो पाती कि नामान्तरण की पत्रावलियां कर विभाग के कर्मचारियों के पास पड़ी रहती है और बिना सुविधा शुल्क के उस पर कार्यवाही नही की जाती,

प्रस्ताव :-

निर्णय :

तैनात किये गये हैं, जिसमें से श्री के० पी० यादव, को इन्चार्ज रेन्ट-रेवन्यू बनाया गया है, जिसके लिये मैंने आपत्ति भी किया था अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वसूली में प्रगति लाने के दृष्टिकोण से ही ऐसी व्यवस्था की गयी थी। माननीय सभासद ने कहा पिछले वर्ष की अपेक्षा वसूली कम है, जबकि त्योहार प्रत्येक वर्ष पड़ता है, जो कुछ समय के लिये होता है, उन्होंने कहा कि करसंग्रहीताओं पर नियंत्रण रखना जाय। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जहाँ बड़े बड़े बकायादारों के यहाँ वसूली के लिए जाना होता है, कर अधीक्षक द्वारा वसूली करायी जाती है। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि अभी-अभी सदस्य जी मान्य सभासद ने जो बातें कही है, उनका परोक्ष रूप में मैं भी समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं अपने मुहल्ले में स्वयं देखता हूँ कि कोई भी करसंग्रहीता कभी भी वसूली के लिये नहीं जाता अतएव इन समस्त वसूली करने वाले कर्मचारियों के लिए वसूली का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाय और उस पर कड़ी कार्यवाही करके वसूली में कथा प्रगति

27.11.91

प्रस्ताव :-

निर्णय :-

लायी गयी, अगली बैठक में बताया जाय।

श्री रमजान खां, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि सफाई प्रकाश व्यवस्था तो कहीं नहीं है, ऐसी दशा में बारात हेतु जो कर्मचारी क्षेत्रों में जायेंगे कार्य में व्यवधान होगा। इसी समय श्री रमजान खाँ ने एक ऐसे व्यक्ति को बोर्ड में यह कहने का अवसर दिया कि मोहल्ला उमरखाँ में उनके मकान के सामने कई दिनों से कूड़े का अम्बार लगा है उसे अभी तक हटाया नहीं गया तो ऐसा आदमी क्या कर देगा? आगे श्री रमजान खाँ, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ने यह शिकायत किया कि कर विभाग के कई कर्मचारी ऐसे हैं, जो टैक्स के नाम पर पैसा ले लेते हैं लेकिन उन्हें उसकी रसीद नहीं देते, ऐसा क्यों करते हैं? इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अधिशासी अधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति पैसा देते हैं, उन्हें तुरन्त रसीद ले लेनी चाहिये, जब जनता के लोग ऐसा करते हैं तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है?

आज्ञाल। –

निर्णय:

इस सम्बन्ध में हमलोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि जो भी रसीद कटते हैं, उसकी पोस्टिंग जब से मैं अधिशासी अधिकारी का पद भार ग्रहण किया हूँ, तब से इस पर बराबर निगरानी करता हूँ और उसकी बराबर पोस्टिंग करवाता हूँ। जहाँ तक वसूली का लक्ष्य निर्धारित करने की बात है, इसके लिये मैंने एक लाख रुपया मासिक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया हूँ, और इस माह में लगभग 60,000/- साठ हजार रुपये की वसूली हुयी है, उसमें और ज्यादे कड़ाई करके लायी जायगी।

डा० श्री कृष्णा कुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कहा कि वसूली को गतिशील बनाने हेतु ऐसा होना चाहिये कि संग्रहीता एक निर्धारित समय तक कार्यालय में रहें और उसके पश्चात क्षेत्रों में जाकर वसूली करें। उन्होंने यह कहा कि कर संग्रहीता प्रतिदिन कार्यालय में बैठे रहते हैं और कहीं वसूली पर नहीं जाते, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि दैनिक दैनन्दिनी (डायरी) बनाने हेतु 10 दिन पूर्व निर्देशित कर दिया गया है और इस बार डायरी जिस

इस सम्बन्ध में हमलोगों के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है, हाँ इतना जरूर है कि जो भी खरीद करते हैं, उसकी पोस्टिंग जावक में अधिप्रमाणी अधिकारी का हस्ताक्षर गहरा किया हूँ, तब से इस पर बराबर निगरानी करता हूँ और उसकी बराबर पोस्टिंग करवाता हूँ जहाँ तक वसूली का लक्ष्य निर्धारित करने की बात है, उसके लिये मैंने एक लाख रूपया मासिक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया हूँ, और इस माह में लगभग 60,000/- साठ हजार रूपये की वसूली हुयी है, उसमें और ज्यादे कड़ाई करके लायी जायेगी।

डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि वसूली को गतिशील बनाने हेतु ऐसा होना चाहिये कि संग्रहीता एक निर्धारित समय तक कार्यालय में रहें और उसके पश्चात क्षेत्रों में जाकर वसूली करें। उन्होंने यह कहा कि कर संग्रहीता प्रतिदिन कार्यालय में बैठे रहते हैं और कहीं वसूली पर नहीं जाते, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि दैनिक दैनान्दिनी (डायरी) बनाने हेतु 10 दिन पूर्व निर्देशित कर दिया गया है और इस बार डायरी जिस

27.11.91

प्रस्ताव :-

निर्णय :-
कर्मचारी द्वारा नहीं बताया जायेगा उसका दैनिक कार्यवाही नहीं लिखी जायेगी यदि तो उसे उच्चाधिकारियों के समक्ष नहीं प्रस्तुत होगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनसराजा, मान्य सभासद ने कहा कि मद्द विज्ञप्ति में लाउडस्पीकर शुल्क में कोई वसूली नहीं है क्या? क्योंकि आय पक्ष देखने से लाउडस्पीकर मद में कुछ नहीं लिखा है उन्होंने आगे यह भी कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो दुकानदार अपनी दुकानों पर तेज ध्वनि से लाउडस्पीकर या टेप बजाते हैं, जिसकी ध्वनि से लोगों को परेशानी भी होती है, उन पर यह शुल्क नहीं लगाया जा सकता, यदि हाँ तो उस पर भी कार्यवाही की जाय। क्या ये टाकीज वाले, जो निश्चित रूप से प्रतिदिन लाउडस्पीकर बजाते हैं, उसके लिये क्या उन्हें कोई अनुमति दी जाती है? दूसरे ये टाकीज वाले लाउडस्पीकर बजाने के साथ साथ अपने विज्ञापनों पर अश्लील पोस्टर भी लगाते हैं इसलिये हम उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि वह ऐसा

प्रस्ताव -

निर्णय.

न करें, यदि करते हैं तो उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय, ताकि जनता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो आपत्तियाँ ली गयी हैं, उसे देखने के पश्चात उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री अनवरजा, मान्य सभासद ने कहा कि कर संग्रह के सम्बन्ध में शो टैक्स की वसूली, माह सितम्बर 91 में मात्र 5200/- की वसूली हुयी है तथा उसके पहले के माह अगस्त में 2620/- वसूल हुये हैं, क्या आप बता सकते हैं? एक माह में कितना शो टैक्स लगता है और उस पर अब तक क्या बकाया है और उसकी वसूली क्यों नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिनके यहाँ शो टैक्स का बकाया है, उन्हें जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वसूली की नोटिस भेजवाया गया है, इस पर श्री अनवरजा सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी हर चीज की एक गरिमा होती है, जिस कर को आप स्वयं वसूल कर सकते हैं, उसे जिलाधिकारी के माध्यम

27.11.

प्रस्ताव	निर्णय:-
	से नोटिस भेजवाकर वसूली करवाना मेरे विचार से उचित नहीं है आगे श्री बाबूलाल गुप्त, मान्य सभासद ने कहा कि एक माह में मात्र 45/- लाउडस्पीकर शुल्क जमा किया गया है जबकि एक रिक्शा स्थायी रूप से प्रति दिन प्रचार प्रसार करता रहता है इस प्रकार मात्र एक ही रिक्शे के प्रचार प्रसार का कम से कम 300/- प्रति माह आय होनी चाहिये, ऐसी दशा में कुल आय कहाँ जाता है? इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुये श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि मैंने स्वयं देखा है कि तीन चार रिक्शे लाउडस्पीकर से प्रतिदिन प्रचार प्रसार करते रहते हैं, ऐसी दशा में इस मद में वसूली बहुत कम है, इसलिये सम्बन्धित कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांगा जाय। अध्यक्ष महोदय ने अधिशासी अधिकारी से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिये, आगे डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य

निर्णय :-

सभासद ने कहा कि कर निर्धारण को वसूली संतोषजनक न होने के लिए उत्तरदायी तीनो कर्मचारी कर-अधीक्षक प्रथम, द्वितीय तथा रेन्ट रेवन्यू प्रभारी से स्पष्टीकरण लेकर सदन पटल पर रक्खा जाय।

श्री बाबूलाल गुप्त मान्य सभासद ने कहा कि सोडियम लाइट, स्पंज राड आदि खरीदे जाते हैं, उस कमेटी में कौन से लोग थे इस पर अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी ने सदन को पढ़ बताया कि एक कमेटी गठित हुयी थी, जिसमें अध्यक्ष सिटी बोर्ड, अध्यक्ष की हैसियत से थे, प्रकाश विभाग निर्माण विभाग, जलकल विभाग, वित्त विभाग के सभापति, सदस्य थे, उसमें, अधिशासी अधिकारी, व प्रकाश विभाग के प्रभारी श्री गोविन्दकृष्ण श्रीवास्तव तथा एस०डी०ओ० (सदर) श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जी०सी०एल०, सदस्य थे, जिनकी उपस्थिति में उक्त बैठक दिनांक 6.11.9.91 को हुयी और उसमें लिये गये निर्णयों के अनुसार सम्बन्धित सामग्रियों के क्रय की कार्यवाही की गयी।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी,

27.11.91

प्रस्ताव	निर्णय..
	आपके यहाँ जो होता है उसको जो हो प्रति मैं दिखा रहा हूँ जिसमें यह लिखा गया है कि बैठक दिनांक .... को हुयी थी जिस पर अधिशासी अधिकारी और आपके हस्ताक्षर मौजूद हैं। इससे ऐसा लगता है कि कागजात को देखे और पढ़े बिना हस्ताक्षर कर दिया जाता है। इस कागजात के पीछे श्री बाबूरामयादव लिपिक ने अपनी एक सूक्ष्म रिपोर्ट दी है, जिसके नीचे भी आपके हस्ताक्षर हैं। अतएव इससे सम्बन्धित फाइल आज भी मंगा कर दिखाई जाय इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि श्री बाबूरामयादव लिपिक अवकाश पर हैं। उनके आने पर सम्बन्धित पत्रावली दिखला दी जायेगी। इस पर डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि क्या मैं उक्त फाइल को उस त्रुटि को पूर्ण कर दिया जायेगा इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय जौनपुर के स्तर से 3.00 लाख (तीन लाख) रुपये अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें से 1.50 लाख एक लाख पचास हजार रुपये

27.11.81

निर्णय :-

सोडियम लैम्प, पचास हजार रुपये स्ट्रीट लाईट बल्ब की व्यवस्था, पचास हजार रुपये क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व पुनःस्थापना तथा पचास हजार रुपये सफाई उपकरणों के क्रय हेतु व्यय किये जाते हैं। जिसकी व्यवस्था हेतु प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत क्रय कमेटी गठित की गयी थी, और उक्त बैठक के साक्ष्य में उपस्थिति हेतु सम्बन्धित सदस्यों के हस्ताक्षर भी लिये हैं, जिसमें एस०डी०एम० सदर के भी हस्ताक्षर हैं। सम्बन्धित रजिस्टर श्री गोपीकृष्ण श्रीवास्तव, कर अधीक्षक, जो इस समय अवकाश पर हैं, के पास है, टेन्डर आमंत्रित किया जा चुका है, सामानों की आपूर्ति हेतु आदेश दिये जा चुके हैं, जिसकी आपूर्ति अभी तक नहीं हुयी है, जिसे 31.12.81 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लेना है।

डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद ने कहा कि यदि क्रय कमेटी गठित हुयी है, तो उसे बताया जाय जिस पर अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर ●परिषद लिपिक महेशनारायण ने गठित कमेटी की रिपोर्ट को पढ़कर सुनाया।

श्री अनसरुल उर्फ भइया जी मान्य सभासद ने कहा कि अध्यक्ष

प्रस्ताव

27.11.9

निर्णय:-

महोदय, हम बराबर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं नगर जनता के हित में 6.00 लाख (छ: लाख) रूपये प्रति माह सफाई पर व्यय करने के बाद भी नगर की समुचित सफाई नहीं हो पाती उसकी स्थिति यह है कि 3 दिन से 7 दिन तक की अवधि में कूड़ा उठ पाता है। वधशाला में 6,000/- छ: हजार रूपये व्यय होता है लेकिन उसकी आय 600/- छ: सौ रूपये भी नहीं है, तो इससे क्या लाभ। इसलिये बताया जाय कि वधशाला में कितने पशु प्रति दिन वध होते हैं और प्रति पशु कितना वध शुल्क लिया जाता है, यदि त्रुटि या कमी पाई जाती है तो सम्बन्धित वसूलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाय? उसी पश्चात क्रम में 'भइया जी' मान्य सभासद ने कहा, अध्यक्ष जी कृपया बतायें कि जलकल प्रतिष्ठान पर प्रतिमाह 2 से 2.50 लाख रूपये अनुरक्षण तथा वेतन के रूप में व्यय किया जाता है, लेकिन महीनों या वर्षों से जो सैन पोस्ट में टोटियाँ खराब हो गयी हैं या नहीं हैं उसमें आज तक टोटियाँ नहीं लगायी

प्रस्ताव

निर्णय

गयी तथा उसका पाइप भी उखड़ गया है, जिससे कीचड़युक्त पानी पाइपलाइनों से मिलता है और आम जनता उसका प्रयोग करती है, न तो केमिस्ट, न ही जलकल अभियन्ता, न तो अवर अभियन्ता (जल) ही कभी निरीक्षण करते हैं। इतना ही नहीं, जो हैन्ड पम्प लगाये गये हैं, उसमें से कई हैन्ड पम्पों में खराबियां आ गयी हैं, जिसकी मरम्मत नहीं हो रही है। मुझे यह बताया जाय कि कितने हैन्ड पम्पों को लगाने की योजना है कितने लगाये गये हैं, कितने लगने शेष हैं? मैंने यह भी नगर में घूमकर देखा है कि कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढे खोद दिये गये हैं, लेकिन उनके प्लेटफार्म आजतक नहीं बने हैं और उसमें पानी भरा रहता है, जिससे वहाँ कीचड़ बना रहता है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भइया जी आप एक साथ इतने अधिक सवाल कर रहे हैं। कम से कम एक-एक सवाल करें और उनका उत्तर प्राप्त होने के पश्चात ही दूसरा सवाल करें।

श्री अनसारजा उर्फ भइयाजी

27.11.91

प्रस्ताव	निर्णय
1	आगे यह भी कहा कि नगर क्षेत्र में जो सोडियम लाइट लगी है, वह कैसे लगी है और कितने स्थल का चयन किया था, इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं स्थल का चयन करके सोडियम लैम्प लगवाये हैं। मैंने यद्यपि उनसे अनुरोध किया था कि मेरे क्षेत्रीय सभासदों से भी राय ले ली जाय, तो जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि उक्त सोडियम लाइट की आवश्यकता जहाँ वे स्वयं उचित समझ रहे हैं, वहीं पर लगवा रहे हैं और लगवा भी चुके हैं। आगे श्री रमजान खाँ, कार्यवाहक उपाध्यक्ष ने कहा कि राजकीय गर्ल्स इन्टर कालेज, जहाँ लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पर भी बार-बार कहने के बावजूद सोडियम लाइट नहीं लगायी गयी ऐसा क्यों। डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव मान्य सभासद ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय हमलोगों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों करते हैं, यदि उनका हस्तक्षेप है तो जो अनुदान तीन लाख उन्होंने

निर्णय..

भेजा है, उसे वापस कर दिया जाय। आज हम सभासदगण सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि हैन्ड पम्प व सोडियम लैम्प तथा ट्यूब लाइट आदि के लगाने के स्थल का चयन बोर्ड स्वयं करेगा अन्यथा यह कार्य यहाँ (सिटी-बोर्ड) से नहीं होगा इस प्रकरण पर सदन में काफी शोर शराबा हुआ जिलाधिकारी के इस हस्तक्षेप के प्रति सभासदगण ने जिलाधिकारी के प्रति निन्दा का प्रस्ताव लाना चाहते थे परन्तु अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह उचित नहीं है, बल्कि असहमति का प्रस्ताव उचित होगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रमेन्द्र प्रताप सिंह ने भी असहमति व्यक्त किया। डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव तथा श्रीमती विमला सिंह नामित सदस्या ने अपने अपने विचार सदन में रखाने सोडियम लाइट के प्रकरण पर ही बहस चलती रही तब श्री अनसारजा, उर्फ 'भइयाजी' मान्य सभासद ने कहा कि सब्जी मंडी से प्रति दिन तहबाजारी के माध्यम से पालिका को आय होती है लेकिन वहाँ एक भी सोडियम लाइट नहीं लगायी गयी तथा सिपाह चौराहे पर भी सोडियम लाइट नहीं लगायी गयी है, जो खेद की बात है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने

प्रस्ताव	निर्णय
	समझाया कि जिलाधिकारी महोदय के ही निर्देशन लोडिंग लोडर लगी है, इस पर अनसारजा 'भइयाजी' ने ऊँचे स्वर में कहा कि वे जिलाधिकारी होंगे लेकिन वे हम जनप्रतिनिधियों से बड़े नहीं हैं।
4 सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1991-92 का संशोधित आय-व्यय लेखा परिषद अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	पढ़ा गया, सर्व सम्मति से स्वीकार।
5. वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग - शासनादेश सं० 1382/ दस - सं०वि०-3 (1) (2)-91 दिनांक 12-7-1991 जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिये संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है, के क्रम में यह आवश्यक हो गया है कि राजकीय आयोजनेतर व्यय में (पूँजीगत परिव्यय को सम्मिलित करते हुए) अधिकाधिक मितव्ययिता की जाय, को स्थानीय निकायों में भी मितव्ययिता के उपायों के विषय में विचार करने के सम्बन्ध में प्राप्त है,	शासनादेश परिषद लिपिक महेश नारायण द्वारा पढ़ा गया, इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि मितव्ययिता के उद्देश्य से मेरा एक सुझाव है कि अध्यक्ष महोदय कम से कम सप्ताह में एक दिन जीप का प्रयोग न करें, ताकि शासनादेश का सही माने में अनुपालन हो सके। श्री अनसारजा उर्फ भइयाजी मान्य सभासद ने कहा कि इस पालिका में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी क्षमता कार्य करने की नहीं रह गयी है और कोई उन्हें प्रतिमाह 1.00 एक लाख वेतन

Scanned with OKEN Scanner

27.11.81

निर्णय :-

प्रस्ताव परिषद् विचारार्थ ।

भुगतान करता आ रहा है, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता, वे घर बैठे रहते हैं, ऐसे कर्मचारियों की छटनी क्यों नहीं की जाती, इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 50 वर्ष से ऊपर आयु के ऐसे अक्षम कर्मचारियों की सूची मांगने के लिये मैंने अधिशासी-अधिकारी को निर्देश दिया है, शीघ्र ही सूची प्राप्त हो जाने पर अगली बैठक में रखा जायेगा।

श्री नजीर हुसैन, सभासद ने कहा कि मेरा सुझाव है कि टाउनहाल का जो चौकीदार श्री लाहैलाल है, उसे कोट/कम्बल इस ठंडक में मिलना चाहिये, इसका समर्थन और अन्य सभासदों ने भी किया, जिसे दिये जाने का अध्यक्ष महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया।

6. प्रस्ताव डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, सभासद

प्रस्ताव को परिषद् लिपिक द्वारा सिटी बोर्ड पढ़े जाने पर प्रस्तावक डा० श्री श्रीवास्तव, जिसका समर्थन श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने सदन में गणेशनाथपरावत आदि सभासदों कहा कि उक्त प्रस्ताव मुझे विवशता ने किया जो जहाँगीराबाद में लाना पड़ा है मैंने पूर्व में भी मोहल्ले में घूमते वालों के यह कहा था कि स्लाटर हाउस में मध्य गोश्त की कई दुकानें पशुओं का वध नहीं किया जाता है, जहाँ गोश्त बेचने वाले, और इस कार्य को सफाई निरीक्षक वहाँ पर जानवर भी हलाल नहीं कर सकते, यदि गोश्त करते हैं, जिसके कारण प्रयोग हेतु पशुओं का वध

27.11.9

प्रस्ताव

वहाँ पर व्याप्त गन्दगी के कारण समीप रहने वाले परिवार की औरतें और बच्चे जानवर को हलाल करते हुए को देखकर भयभीत होते हैं, की स्थिति को देखते हुये सार्वजनिक हित में जहाँगीराबाद मोहल्ला की गोश्त की दुकान, वहाँ से तत्काल हटा दी जाय और उन्हें उमापुर वार्ड में सुपर मार्केट या उसके समीप बस्ती से दूर उन गोश्त के दुकानदारों को स्थान दिया जाय, परिषद विचारार्थ।

निर्णय-

स्लाटर हाउस में मैं तो कोई भी जाय वद सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि छोटे-बड़े पशुओं को वध करने के लिए एक ही स्थल बड़ा वाला स्लाटर हाउस है, जनता के लोग शायद इसी विचार से कि वहाँ वध किये गये छोटे पशुओं के गोश्त को न क्रय करें, संभवतः इन्हीं कारणों से बड़े वाले स्लाटर हाउस में छोटे पशु वध नहीं किये जाते, मेरा विचार है कि नये पुल के उस पार कुछ स्थान है जहाँ पर इसे स्थापित कर दिया जाय। श्री रमजान खां, कार्यवाहक उपाध्यक्ष ने कहा कि छोटा वाला स्लाटर हाउस बारहदुआरिया में है तथा बड़ा वाला शेख मोहामिद में है, ऐसी दशा में वहीं पर छोटे पशुओं के वध की व्यवस्था कराई जाय। श्री सिराजुद्दीन अहमद, लिपिक जो वधशुल्क की वसूली करते हैं, ने बताया कि छोटावाला स्लाटर हाउस गिरा पड़ा है, यदि उसकी मरम्मत करा दी जाय तो वहाँ पर छोटे पशुओं का वध हो सकेगा। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि मैंने स्वयं देखा है कि उसके छत की खपरैल गिरी पड़ी हुयी है,

प्रस्ताव

निर्णय :-

जिसके मरम्मत में कम से कम 20-25 हजार रुपये खर्च पड़ेंगे। इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यदि 20-25 हजार रुपये लगाने पर बोर्ड की आय बढ़ सकती है, तो ऐसा होना चाहिये। श्रीमती बिमला सिंह, नामित सदस्या ने डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव की बातों से सहमति प्रदान की, लेकिन श्री राजेन्द्र-प्रताप सिंह, बोर्ड उपाध्यक्ष ने कहा कि गोश्त प्रयोग हेतु जिन स्थानों पर पशु वध किये जाते थे, वहाँ ऐसी नाली बनवायी जाय, कि उनका खून पानी दिखाई न दे और वह आगे नाली में बह जाय। डा० श्री कृष्णकुमार श्रीवास्तव, मान्य सभासद ने कहा कि अभी अभी एक मान्य सभासद ने बताया है कि छोटा वाला स्लाटर हाउस बारह दुआरिया में है, यदि उसकी मरम्मत कराने से बोर्ड की आय बढ़ सकती है तो उसे बनवाया जाय। अध्यक्ष महोदय ने यह सुझाव दिया कि जो भी दुकानदार दुकानों में छोटे जानवरों का वध करते हैं, वह गुमटी का रुख ऐसा करें कि वह बाहर दिखाई न पड़े तथा बन्द जगह में रखें इस सम्बन्ध में सफाई निरीक्षकों को

27.11.81

प्रस्ताव	निर्णय
	निर्देश दिया जाता है कि वह दुकानदारों के दुकानों की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, इतना ही नहीं जो भी खाद्य सामग्रियाँ हैं उसका ये लोग निरीक्षण किया करें और अगली बैठक में यह लिखित रिपोर्ट दें कि कितने गोश्त एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकानों का निरीक्षण किया और कितनों का चालान किया और कितने खाद्य पदार्थ, जो खराब मिले हों, जिनको विनिष्ट किया गया हो।
	श्री अनसारजा, सभासद ने कहा कि जैसा कि श्री रमजान खाँ, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा है एक पानी के टैंकर की व्यवस्था की जाय, यह प्रस्ताव सर्वथा उचित है, मैं भी इससे सहमत हूँ, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसके लिये शासन को लिखा गया है मान्य सभासद ने यह भी कहा कि जबतक टैंकर की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक कोई भी निर्माण कार्य या अन्य कार्य न कराया जाय।
	श्री मुख्तार अहमद मान्य सभासद ने कहा कि टैंकर ज्यादा से ज्यादा 25-30 हजार रुपयें में मिल सकता है, माननीय अध्यक्ष जी चाहें तो उसका कोटेशन मँगवा दिया जाय।

निर्णय।

डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, व श्री राजेश श्रीवास्तव माननीय सभासदों ने पूछा कि जो नलकूप बन रहे हैं, वे कब तक चालू हो जायेंगे और उनका प्रयोग होने लगेगा इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि जो नलकूप बन रहे हैं, उनके प्रारंभ/चालू होने की तिथि सम्भवतः निश्चित हो चुकी है, जिसके बारे में जलकल अभियन्ता ने बताया कि पानदरीबा (मीरापुर) एवं सिपाह नलकूप 31 दिसम्बर 91 को तथा नईगंज नलकूप फरवरी 92 में चालू हो जायेगा।

7. पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य हेतु दैनिक मजदूरी पर रखे गये 25 स्वच्छकारों का कार्यकाल रुपया 25/- दैनिक मजदूरी की दर से दिनांक 1.10.91 से 30.11.91 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य-विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु। — स्वीकार।

8. पालिका सफाई विभाग में 3 इक्कों पर 9 सफाई वेतन स्वच्छकार कर्मचारियों को स्वीकृत दैनिक मजदूरी रु0 25/- पर रखने की अवधि दिनांक 1.10.91 से 30.11.91 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभागीय आख्या परिषद अनुमोदन हेतु — स्वीकार।

27.11.91

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
9. पालिका जलकल विभाग के नलकूपों के संचालन हेतु स्वीकृत दैनिक वेतन रु030/- पर 33 पम्प अटेन्डेन्टों का कार्यकाल दिनांक 1.10.91 से 30.11.91 तक बढ़ाये जाने को जलकल विभागीय उपसमिति/ परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
10. पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के रख-रखाव हेतु स्वीकृत दैनिक मजदूरी रु025/- प्रति दिन की दर से रखे गये 11 (ग्यारह) बेलदारों का कार्यकाल दिनांक 1.10.91 से 30.11.91 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में जलकल-विभागीय उपसमिति/परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
11. पालिका प्रकाश विभाग में विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में रखे गये एक मिस्त्री का कार्यकाल दिनांक 1.10.91 से 30.11.91 तक तथा दो मिस्त्री का कार्यकाल दिनांक 1.9.91 से 30.11.91 तक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पूर्व स्वीकृत दर रु30/- पर रखने को प्रकाश विभागीय उपसमिति/ परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

प्रस्ताव	निर्णय:-
12. पत्रादि बावत नगर के विभिन्न सड़कों की तहबाजारी वसूल करने हेतु पूर्व से कार्यरत 4 तहबाजारी मोहर्रिर को दैनिक मजदूरी रु०30/- पर रखने की स्वीकृति दिनांक 1.10.91 से 30.11.91 तक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
13. पत्रादि बावत निर्माण विभाग, आई०डी०एस०एम०टी०, नेहरू रोजगार योजना, लघु उद्यम जैसी नवीन योजनाओं के पत्रादि सम्बन्धी टंकण कार्य की अधिकता को समय पूरा करने हेतु एक अतिरिक्त टाइपिस्ट रु० 30/- प्रति दिन मजदूरी पर रखने का प्रस्ताव दिनांक 20-10-91 से 2 माह के लिये रखने हेतु परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
14. अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से।	कुछ नहीं।

सिटी-बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 27.11.91 की अतिरिक्त कार्यसूची (एजेन्डा)

1. (एक) उत्तर-प्रदेशनगर विकास अनुभाग-6 अधिसूचना सं० 512 एन०वी०एम०/11-6-91-29 एन/91 दिनांक	पढ़ा गया।

27.11.91

प्रस्ताव	निर्णय
1. 30-10-1991 द्वारा उ०प्र० साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उ०प्र० अधिनियम सं०-1, 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त नगर-पालिका अधिनियम 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं०-2) की धारा-9 के चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये माननीय राज्यपाल महोदय ने नगर-पालिका बोर्ड जौनपुर के पूर्व नामित महिला एवं सफाई मजदूर वर्ग के सदस्यों का नाम निर्देशन रद्द (निरस्त) कर दिया है, पठित (सूचनार्थ)।	
2. उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग-6 अधिसूचना सं० 5112 एन०वी०एम० (3)/11-6-91-29 एन/91 दिनांक 30-10-91 द्वारा संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० -2-1916) की धारा-9 के प्रथम, तृतीय व चतुर्थ प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय ने श्रीमती विमला सिंह, प्रधानाध्यापिका, श्रीरामेश्वर	पढ़ा गया तथा नये नामित सदस्य का परिचय कराया गया।

Scanned with OKEN Scanner

27.11.81

प्रस्ताव

निर्णय

शिशु विहार, जू० हा० स्कूल रासमंडल, जौनपुर, श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव, रासमंडल जौनपुर, श्री अमरनाथ हीजन हरईपुर जौनपुर को नगरपालिका सिटी-बोर्ड जौनपुर का महिला व सफाई मजदूर वर्ग के सदस्य के रूप में नामित किया है, परिषद स्वागत।

अंत में डा० श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, माननीय सभासद ने कु० फरीदा बेगम, जो सामान्य प्रशासन विभाग में कई वर्षों से, लिपिक कार्य करती चली आ रही है, के पदोन्नति से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया और कु० फरीदा बेगम को निकट भविष्य में होने वाले, द्वितीय श्रेणी के लिपिकीय, रिक्त पद पर, महिला सम्वर्ग की मात्र एक अभ्यार्थिनी होने तथा शासन की मन्शा कि महिलाओं को पदोन्नति में प्राथमिकता प्रदान करने को दृष्टिगत रखते हुये, पदोन्नति करने हेतु प्रबल संस्तुति किया जिस पर सदन में उपस्थित सभासदों ने भी अपनी अपनी सहमति दी, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा समुचित आश्वासन दिया गया। अंत में सभा की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(शाह महमूद अहमद)
नगर अभियन्ता व
कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड, जौनपुर
27.11.81

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी-बोर्ड,
जौनपुर
27.11.81